भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-854
दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

राजस्थान में किसानों को विद्युत आपूर्ति

854. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान राज्य के झालावाड़ और बारां जैसे क्षेत्रों में, जहाँ कृषि भार अधिक है, घरेलू फीडरों पर भार कम करने और किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि फीडरों को पृथक करने के प्रयास किए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) ग्रामीण भारत में अब तक पहचाने गए और पृथक किए गए कृषि फीडरों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और राजस्थान में, विशेषकर झालावाड़ और बारां जिलों में स्थित ऐसे फीडरों की संख्या कितनी है;

(ग) इन फीडरों को पृथक करने में कुल कितनी लागत आएगी और कृषि गतिविधियों के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में फीडरों को पृथक करने के लिए सरकार किस प्रकार संसाधन आवंटित करने की योजना बना रही है; और

(घ) विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित परिवारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार 30% से अधिक कृषि लोड वाले मिश्रित लोड फीडर को कृषि और गैर-कृषि फीडर में विभाजित करने पर ज़ोर दे रही है। इससे कुशल लोड प्रबंधन में मदद मिलेगी, कृषि उपभोग के लिए विद्युत आपूर्ति का विवेकपूर्ण रोस्टरिंग सुगम होगा और कृषि फीडर का सौर्यकरण संभव होगा, जिससे किसानों को दिन के समय विद्युत आपूर्ति में मदद मिलेगी और आपूर्ति की लागत कम होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति में भी मदद मिलेगी।

वर्ष 2014 में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत फीडर पृथक्करण के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। फीडर पृथक्करण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	अखिल भारतीय	राजस्थान	झालावाड़	बारां
1	30% से अधिक कृषि लोड वाले पृथक योग्य कुल फीडर	80,720	14,484	212	273
2	विभिन्न स्कीम के तहत पहले ही पृथक किए जा चुके फीडर	56,018	1,897	16	11
3	फीडर जिनके पृथक्करण का कार्य चल रहा है	24,702	12,587	196	262

(ग) : आरडीएसएस के अंतर्गत, संबंधित वितरण कंपनी द्वारा पृथक्करण हेतु चिन्हित शेष व्यवहार्य फीडर की संख्या के अनुसार धनराशि आवंटित की गई है। फीडर पृथक्करण कार्यों हेतु स्वीकृत परियोजना लागत का विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रू.

क्र.सं.	स्कीम	अखिल भारतीय	राजस्थान	झालावाड़	बारां
1	आरडीएसएस	40,525	10,201	188	201

(घ) : आरडीएसएस के अंतर्गत, भारत सरकार पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत 1,27,061 पीवीटीजी परिवारों को ऑन-ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 516 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

****